भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3603
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

विद्यालयों के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की विद्यालय छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर

†3603. **श्री के. राधाकृष्णनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर राज्य-वार क्या है;

(ख) ऐसे विद्यालय छोड़ने के लिए चिन्हित कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्राणाली प्लस (यूडाइज+) के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ड्रॉपआउट दर संलग्नक में उपलब्ध है।

(ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी वर्ष 2025 के लिए 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफ़एस)' शीर्षक से रिपोर्ट के अनुसार, कभी स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों के प्रमुख कारण घरेलू आय को बढ़ाना, घरेलू कामों में भाग लेना आदि हैं।

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और सरकारी स्कूलों में नामांकन

बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उनका सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उनका उन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना करना शामिल है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है।

सरकार ने पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों और अन्य शिक्षा संकेतकों की निगरानी करने के लिए विद्या समीक्षा केन्द्र (वीएसके) और स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (अपार) आईडी के कार्यान्वयन जैसी पहलें भी शुरू की हैं। वीएसके को शैक्षिक पहलों और उनके अंतिम परिणामों की निगरानी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कार्यनीतियों के साथ विकसित किया गया है। वीएसके की एक प्रमुख विशेषता ड्रॉपआउट को रोकने के लिए छात्रों की निगरानी करना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने वाले छात्रों की निगरानी, अधिगम परिणामों की प्रगति और विभिन्न हस्तक्षेपों की वास्तविक समय की निगरानी है, जिसका उद्देश्य पहुंच में सुधार, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाना है। एपीएएआर, 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, 12 अंकों की आजीवन छात्र आईडी है जो आधार से जुड़ी हुई है।

संलग्नक

"विद्यालयों के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की विद्यालय छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री के. राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 10/08/2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3603 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ड्रॉपआउट दर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक					माध्यमिक				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	1.5	7.8	1.9	0.3	0.3	12.6	16.4	14.1	11.5	9.5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.4	0.0	0.8	0.3	0.0	5.0	5.5	5.5	5.4	3.6
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	16.3	14.7	12.5	15.5	9.7
अरुणाचल प्रदेश	9.3	15.0	5.4	4.8	3.3	11.7	16.9	19.3	18.3	13.0
असम	6.0	8.5	6.2	3.8	1.4	20.3	29.5	25.1	17.5	14.3
बिहार	0.0	10.7	8.9	2.9	2.5	20.5	29.5	25.6	6.9	9.0
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.1	2.9	2.0	1.3
छत्तीसगढ़	0.8	5.4	1.8	0.7	1.1	9.7	18.2	16.3	15.3	16.1
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	9.5	18.8	18.7	12.5	12.4
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	7.3	10.4	7.5	7.1
गोवा	0.0	0.3	0.8	0.3	0.2	9.0	8.8	8.1	9.3	6.4
गुजरात	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	17.9	23.3	21.0	16.9	15.7
हरियाणा	0.0	1.4	1.2	0.0	0.0	5.9	15.4	13.8	6.6	5.4
हिमाचल प्रदेश	0.0	1.0	0.0	0.0	0.4	1.5	6.7	4.9	6.2	5.6
जम्मू और कश्मीर	4.0	8.9	1.6	1.5	1.1	6.0	9.0	13.4	12.9	11.6
झारखंड	1.8	11.5	0.9	0.0	0.1	9.3	25.7	15.2	3.5	6.6
कर्नाटक	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	14.7	14.9	22.1	18.3	18.1
केरल	0.0	3.1	0.0	0.8	0.2	5.5	6.7	3.4	4.8	4.1
लद्दाख	6.5	5.1	4.3	2.6	2.2	4.9	11.6	19.8	16.2	16.8
लक्षद्वीप	0.5	4.6	2.3	0.6	1.1	0.0	9.8	2.6	4.1	2.6
मध्य प्रदेश	3.1	6.8	1.0	0.0	0.1	10.1	21.4	17.7	16.8	13.0
महाराष्ट्र	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	10.7	16.0	10.1	11.5	9.0
मणिपुर	13.3	12.9	4.5	2.9	6.4	1.3	13.5	15.3	9.1	8.6
मेघालय	9.8	13.6	7.5	4.2	3.7	21.7	28.9	22.0	17.4	6.7
मिज़ोरम	6.4	14.8	3.5	10.8	1.7	11.9	24.0	14.8	17.4	9.3
नागालैंड	5.0	9.8	4.5	2.8	3.3	17.5	21.5	11.6	12.1	13.3
ओडिशा	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	27.3	17.7	12.8	15.0	13.7
पुडुचेरी	3.7	3.2	1.2	0.0	0.0	6.3	7.5	7.8	5.9	2.9
पंजाब	1.3	3.1	0.1	2.5	0.7	17.2	9.7	6.0	6.2	5.6
राजस्थान	3.6	4.4	7.6	3.6	2.8	7.7	11.9	11.1	7.7	8.8
सिक्किम	1.8	4.5	2.6	1.5	0.2	11.9	15.4	19.0	11.4	13.1
तमिलनाडु	0.0	2.3	0.0	2.7	0.0	4.5	10.3	7.7	8.5	6.2
तेलंगाना	0.0	2.1	0.0	0.0	0.5	13.7	11.6	11.4	13.2	5.8
त्रिपुरा	1.1	1.4	0.5	0.0	0.0	8.3	17.9	10.4	11.3	10.4
उत्तर प्रदेश	2.7	18.8	1.7	0.0	0.0	9.7	14.7	8.7	7.0	8.4
उत्तराखंड	0.8	7.4	0.1	0.9	1.9	5.0	8.4	7.0	4.6	6.1
पश्चिम बंगाल	8.6	8.1	0.0	1.4	0.0	18.0	8.5	17.8	20.0	5.5

स्रोत : यूडाइज+